



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 99/2019  
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए

1. बलकरण सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. जसकरण सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. शमशेर सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. गुरमीत सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

**बनाम**

वादीगण

1. केवल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
2. सुरजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. जसवीर कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
4. सुखजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
5. हरजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख नि. भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
6. हरनेक सिंह पुत्र हरनाम सिंह (कलमजन)
7. बलवीर कौर पुत्री हरनाम सिंह (लाओलाद फौत नाम कलमजन)
8. जगदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
9. तेज कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
10. गुरजण्ट सिंह पुत्र बलदेव सिंह (लाओलाद फौत कलमजन) जाति जटसिख निवासी भारू तहसील गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
11. कलवन्त सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
12. अमर सिंह पुत्र किशन सिंह (कलमजन) जाति जटसिख नि. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. जयकौर पुत्री किशन सिंह (कलमजन) जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. बलराज सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख नि.भारू तह. गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
15. चन्द सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
16. गुरविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
17. दर्शन सिंह पुत्र सरबन सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
18. पालो उर्फ सुखविन्द्रकौर पत्नी सरबन सिंह जाति जटसिख नि. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
19. जसविन्द्र कौर पुत्री बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी भारू तहसील गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
20. खुशविन्द्र सिंह पुत्र बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी भारू तहसील गिदडवाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
21. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
22. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 30.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई करके हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री एस.एस. खोसा वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुगाबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

मह.   
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

हरनेक सिंह, जसकरण सिंह पि.पूर्णसिंह जाति जटसिख सा.शाहपीनी की बहिब कब्जा काश्त की भूमि:-

चक 18 एएमपी		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
124/164	47	7,8,9/0.253 है.प्र.

हरनेक सिंह, शमशेर सिंह पि.मुकन्द सिंह जाति जटसिख सा.शाहपीनी की बहिब कब्जा काश्त की भूमि:-

चक 18 एएमपी		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
124/164	47	2/1, 3/1, 4/1/0.228 है.प्रे. 2/2, 3/2, 4/2/0.025 है.प्रे. 5/1/0.202 है. 5/2/0.025 है. गै.मु खाला, 5/3/0.026 है.गै.मु.रास्ता

हरनेक कौर पत्नी हरनेक सिंह, सुखजीत सिंह, हरजीत सिंह, पि.हरनेक सिंह जाति जटसिख सा.शाहपीनी की बहिब कब्जा काश्त की भूमि:-

चक 18 एएमपी		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
124/163	36	14,17,18,19,20,22,23/1.771 है. 15/1/0.228, 16/1/0.228 है. 15/2/0.025, 16/2/0.025

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/376 दिनांक 23.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।



नोट :- तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में स्थगन संबंधी कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किये जाने पर माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना एवं यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन अंकित होने का नोट अंकित है। उक्त माननीय न्यायालय में इस भूमि की हद तक पक्षकारों में आपस में वाद विचाराधीन होने एवं जारी स्थगन के मध्यनजर अस्थायी निषेधाज्ञा की पालना उक्त किलो के संबंध में उक्त वाद के निर्णय तक यथावत रखी जावे। इसके अलावा इस डिक्री में वर्णित अन्य पक्षकारों का नामांतरण संबंधित खातों/किलो अनुसार नियमानुसार किया जा सकता है जिनमें उक्त निषेधाज्ञा प्रभावित नहीं होती हो।

निज......मुख्तिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...20.3.2024...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
 मुख्य अधिकारी एवं  
 उपसर्वेड अधिकारी,  
 संगरिया